

"प्रशासन गांव के संग अभियान - 2023"

न्यायालय उप खण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर..... डी.गोड

(शिबिर स्थान..... खोटा सीपानिंह)

आदेश

दिनांक.....

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती प्रार्थना पत्र पटवारी..... रत्नापता

व भू.अ.नि. खोटा सीपानिंह की रिपोर्ट तथा तहसीलदार..... डी.गोड

नायब तहसीलदार..... की अनुशंसा के आधार पर राजस्थान भू राजस्व अधिनियम

1956 की धारा 136 के अनुसरण में ग्राम..... रत्नापता तहसील..... डी.गोड व

जिला..... की जमाबन्दी सम्वत्..... 2767 में खाता संख्या..... 71

में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद के आदेश दिये जाते हैं।

क्र. सं.	ग्राम	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि अशुद्ध प्रविष्टि	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1	<u>रत्नापता</u>	71	<u>खोटा सीपानिंह</u> <u>के निवासी</u> <u>रत्नापता</u> <u>खोटा सीपानिंह</u>	<u>खोटा सीपानिंह</u> <u>के निवासी</u> <u>रत्नापता</u>

.....
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर
डी.गोड

क्रमांक :- 142

दिनांक :- 13.6.23

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार..... डी.गोड को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री..... को सूचनार्थ।
3. रक्षित पत्रावली

.....

.....
उपखण्ड अधिकारी/सहायक कलक्टर